न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3633–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 29–09–12 पारित तहसीलदार, तहसील छतरपुर प्रकरण कमांक 17/अ–3/2011–12.

1– सुखदेव सिंह तनय स्व. भूरेसिंह
नि0 ग्राम ग्योड़ी, तह0 मोदाहा,
जिला हमीरपुर, उ0प्र0
2– श्रीमती मरासिंह पुत्री स्व. जोधासिंह
नि0 ग्राम माझखीर रमेड़ी, तह. व
जिला हमीरपुर, उ0प्र0
3– महेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. सुन्दरलाल अग्रवाल
नि. छतरपुर, जिला छतरपुर
4– श्रीमती प्रेमकुंवर बेवा वीरसिंह
5– श्रीमती चन्द्रा सिंह पुत्री स्व. वीरसिंह
6– अर्जुनसिंह तनय स्व. वीरसिंह
7– भरतसिंह तनय स्व. वीरसिंह
8– रघुराजसिंह तनय स्व. वीरसिंह
कमांक 4 लगायत 8 नि0 ग्राम सरानी,
तहसील व जिला छतरपुर, म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

म0प्र0 शासन व्दारा थाना प्रभारी,
थाना सिविल लाइन, छतरपुर,म0प्र0

—— अनावेदक

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एच0के0 अग्रवाल, अभिभाषक– अनावेदक शासन

 निगरानी क0 3633–दो/2012

आदेश

(आज दिनांक 20.5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील छतरपुर के प्रकरण कमांक 17/अ–3/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29–09–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक थाना प्रभारी थाना सिविल लाइन छतरपुर ने पत्र दिनांक 27–7–2012 व्दारा सिविल लाइन छतरपुर की शासकीय आवंटित भूमि के सीमांकन का अनुरोध किया। नजूल संधारण अपरीक्षक छतरपुर व्दारा दिनांक 27–8–12 को कार्यवाही कर प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक, नक्शा ट्रेश तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29–09–12 व्दारा स्वीकृत किया गया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया। आवेदकगण अभिभाषक का तर्क है कि भूमि खसरा नं0 1795/4 रकबा 4.50 एकड़ बल्देव तनय नन्हें उर्फ भैयालाल के स्वामित्व की भूमि थी। व्यवहार न्यायालय में वाद क0 123ए/94 में निर्णय दिनांक 10.03.95 व्दारा वादीगण का वाद स्वीकार कर स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी दी गयी। डिकीधारी हल्कू काछी एंव बालकिशुन काछी की मृत्यु उपरान्त प्रश्नाधीन भूमियॉ आवेदकगण ने पंजीयत विकयपत्र व्दारा खरीदकर नामान्तरण कराया गया है। भूमि खसरा नं0 1795 काफी बड़ा भू–भाग है जिसके 6 बटा नम्बर कायम है। तहसीलदार व्दारा दिनांक 29.09.12 को प्रकरण पंजीबध्द किया गया है और उसी दिन आदेश पारित कर

प्रकरण समाप्त किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन/नक्शा तरमीम की कार्यवाही करने के पूर्व सरहदी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गयी। पंचनामें में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। स्थाई सीमा–चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पुलिस विभाग को शासन व्दारा आवंटित की गयी है। पुलिस विभाग को आवंटित भूमि का विधिवत सीमांकन/नक्शा तरमीम किया गया है। आवेदकगण को सीमांकन/नक्शा तरमीम कार्यवाही की जानकारी थी, किन्तु उनके व्दारा कोई आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी, इस कारण प्रस्तुत नक्शा तरमीम प्रस्ताव को स्वीकार करने में तहसीलदार व्दारा कोई गलती नहीं की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि शासकीय भूमि पर अवैध अतिकमण किया गया है जिसे आवेदकगण बनाये रखना चाहते हैं। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ आवेदकगण व्दारा निगरानी आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत व्यवहार वाद क. 123ए/95 एवं तहसीलदार के नामान्तरण आदेश आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है जिनके अवलोकन से विदित होता है कि व्यवहार न्यायालय की डिकी के आधार पर हल्के काछी एवं बालकिशुन काछी का खसरा नं0 1795/4 रकबा 4.50 एकड़ पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 22–08–96 व्दारा नामान्तरण स्वीकार किया। वीरसिंह, श्रीमती मीरासिंह, सुखदेव सिंह एवं महेन्द्र अग्रवाल के आवेदनपत्र के आधार पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 28–7–03 व्दारा डिकी में संलग्न नक्शे अनुसार पटवारी नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये हैं। ऐसी दशा में खसरा नं0 1795/4 आवेदकगण के स्वत्व की प्रथमदृष्टया भूमि होने से प्रश्नाधीन भूमियॉ, जिसमें खसरा नं0 1795/4 में शामिल है, के सीमांकन

एवं नक्शा तरमीम की कार्यवाही करने के पूर्व उन्हें सूचनापत्र जारी करना चाहिये था। तहसीलदार के प्रकरण के अभिलेख में सीमांकन एवं नक्शा तरमीम की कार्यवाही करने के पूर्व सरहदी कृषकों को सूचना देने का कोई प्रमाण नहीं है। राजस्व निरीक्षक, नजूल संधारण ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 2.9.12 में यह उल्लेख किया है कि खसरा नं0 1795 के पटवारी नक्शे में 6 बटांक हैं जिनका कुल रकबा 8.906 हे. खसरे में दर्ज है, किन्तु पटवारी नक्शे में रकबा बरारी करने पर 6.000 हे. रकबा आता है, इस प्रकार नक्शानुसार 2.906 हे. रकबा कम है। जब प्रश्नाधीन खसरा नं0 1795 के नक्शे में 6 बटांक थे, तब खसरा नं0 1795 का सीमांकन कर नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व सभी बटांकधारियों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में नजूल संधारण अपरिक्षक व्दारा कार्यवाही करना चाहिये थी। आवेदकगण व्दारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–7–03 व्दारा डिकी में संलग्न नक्शे अनुसार पटवारी नक्शे में तरमीम किये जाना बताया गया है, ऐसी दशा में तहसीलदार को नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत करने के पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिये था, किन्तु तहसीलदार के प्रकरण में सिर्फ एक आदेश पत्रिका दिनांक 29–9–12 उपलब्ध है जिससे यह विदित नहीं होता कि राजस्व निरीक्षक, नजूल संधारण का प्रतिवेदन दिनांक 2–9–12 कब तहसीलदार को प्राप्त हुआ और आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया या नहीं। ऐसी दशा में तहसीलदार का प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन/नक्शा तरमीम आदेश विधि संगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–09–2012 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन/नक्शा तरमीम कार्यवाही करने के पूर्व उभय पक्ष एवं

सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना देकर उनकी उपस्थिति में कार्यवाही सम्पन्न करायें एवं नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0